



कार्यालय
प्रबन्ध निदेशक
पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०
विक्टोरिया पार्क, मेरठ

पत्रांक : /पविविनिलि/मेरठ/एसओ/स्था०/सहा०अभि०/2015-16

दिनांक :

कार्यालय ज्ञाप

एतद्वारा प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1137-अ०प्र०-07 / पाकालि/15-16-अ०प्र०-07/14 दिनांक 19.05.2015 के द्वारा 8.33% कोटे के अन्तर्गत अवर अभियन्ता (ई० एण्ड एम०) से अस्थायी/स्थानापन्न सहायक अभियन्ता (ई० एण्ड एम०) के पद पर प्रोन्नत एवं पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०, मेरठ को आवंटित अधोलिखित अवर अभियन्ता को निगम कार्य हित में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से सहायक अभियन्ता के पद पर स्तम्भ सं०-05 में उल्लिखित स्थान पर तैनात किया जाता है :-

क्र० सं०	नाम/पिता का नाम/जन्म तिथि/ट्रेड / गृह जनपद/श्रेणी/वरिष्ठता क्रमांक (सर्वश्री)	वर्तमान तैनाती स्थान	अभि० संख्या	सहायक अभियन्ता पद पर प्रोन्नति उपरान्त तैनाती स्थान/आवंटित क्षेत्र
1	2	3	4	5
1	देवेन्द्र कुमार/प्रहलाद सिंह/ 18.05.1985/इलेक्ट्रिकल/बुलन्दशहर /सामान्य/9304	वि०न०वि०मं०, अलीगढ़	2015094	सहायक अभियन्ता (मीटर-2), मुरादाबाद अन्तर्गत विद्युत परीक्षण खण्ड, मुरादाबाद। (मु०बाद क्षेत्र) (रिक्त पद पर)
2	सुशील कुमार/महावीर सिंह/ 06.07.1981/इलेक्ट्रिकल/मेरठ/ पिछड़ी जाति /9361	सहायक अभियन्ता, प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ।	2015112	सहायक अभियन्ता (मीटर-3), अन्तर्गत विद्युत नगरीय परीक्षण खण्ड, मुरादाबाद। (मुरादाबाद क्षेत्र) (रिक्त पद पर)
3	अतुल कुमार/राजेन्द्र प्रसाद माहेश्वरी/ 15.04.1972/इलेक्ट्रिकल/गाजियाबाद /सामान्य/9386	वि०न०वि०मं०, अलीगढ़	2015119	सहायक अभियन्ता (मीटर-2), रामपुर अन्तर्गत विद्युत परीक्षण खण्ड, रामपुर।(मु०बाद क्षेत्र) (रिक्त पद पर)
4	संजुल कुमार/महावीर सिंह/02.12. 1983 /इलेक्ट्रिकल/मेरठ/अनु० जाति/9450	वि०न०वि०मं०-1, गाजियाबाद	2015135	सहायक अभियन्ता (मीटर), चांदपुर अन्तर्गत विद्युत परीक्षण खण्ड, बिजनौर। (मु०बाद क्षेत्र) (रिक्त पद पर)

- उपरोक्त सहायक अभियन्ता पूर्व परिषदादेश संख्या 485-ए-आर/राविप-01-28- एआर/89 दिनांक 27.03.1989 के सन्दर्भ में मुख्य अभियन्ता एवं महानिदेशक (प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन एवं विकास), विद्युत प्रशिक्षण संस्थान सरोजनी नगर, लखनऊ द्वारा आयोजित किये जाने प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में निश्चित रूप से भाग लेंगे।
- "यह प्रोन्नति मा० उच्च न्यायालय/इलाहाबाद में योजित याचिका संख्या 60876/2013 एवं समविषयक योजित अन्य याचिकाओं में पारित अन्तिम निर्णय के प्रतिबन्धाधीन है।"
- सभी अवर अभियन्ताओं द्वारा सहायक अभियन्ता पद पर कार्यभार प्रमाण पत्र भरने से पूर्व उनके नियन्त्रक अधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि :-
(क) अवर अभियन्ता के विरुद्ध कोई भी विभागीय अग्रिम, संयन्त्र, भण्डार सामग्री अवशेष न हो।
(ख) अवर अभियन्ता के विरुद्ध कोई भी अनुशासनिक कार्यवाही सम्बन्धी प्रकरण न चल रहा हो।
(ग) उपर्युक्त सूची में नामित अवर अभियन्ता के विरुद्ध प्रकीर्ण धनराशि/प्रत्याप्ति है तो उनके नियन्त्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वे प्रोन्नत अवर अभियन्ता को कार्यमुक्त करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर ले कि विविध प्रकीर्ण धनराशि/प्रत्याप्ति की नियमानुसार कटौती प्रारम्भ कर दी गई है एवं उसका अंकन उसकी सेवा पुस्तिका में कर दिया गया है।
(घ) समस्त चयनित अवर अभियन्ता प्रोन्नति आदेश निर्गत होने से एक माह के भीतर अपने नव तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे। दिनांक 30.06.2015 तक कार्यभार ग्रहण न करने वाले अवर अभियन्ताओं के विषय में यह मानते हुए कि वह प्रोन्नति लेने में इच्छुक नहीं हैं, कारपोरेशन स्तर से अग्रतर कार्यवाही कर दी जायेगी।

